अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

अध्याय –प्रथम

प्रस्तावना

1. शिक्षा

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योगदान देती है! व्यक्ति और वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती हैं।शिक्षा व्यक्ति को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती हैं। उसे जींवन और नागरिकता के दायित्वों एवं कर्तव्यों के लिए तैयार करती हैं। और उसके व्यवहार विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती हैं। जो समाज और देश तथा विश्व के लिए हितकर होता हैं ।

शिक्षा मनुष्य तथा समाज को उन्नती के पथ पर अग्रेसर करने वाली विकास की सीढी हैं। शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वागीण विकास करके उनके जीवन को सफल बनाने से हैं। शिक्षा के महत्व को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ शिक्षाविदों की परिभाषाओं को समझना आवश्यक है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि,

"शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में अन्तर्निहित शारीरिक, मानसिक एवं अध्यात्मिक श्रेष्ठता को प्रकाश में लाना है"

रूसों ने कहा है कि

"शिक्षा आनन्ददायक, तर्कयुक्त सन्तुलित उपयोगी और प्राकृतिक जीवन के विकास की प्रक्रिया है।"

शिक्षा का उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। अध्यापक को केवल अध्यापन तक ही क्रियात्मक पक्षों का विकास करना चाहिए। भावात्मक पढन सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुसार 6–14 वर्ष आयु के सभी बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान देश के सभी नागरीकों को चाहे वह किसी भी वर्ग, जाती, मूलवंश, जन्मस्थान, लिंग, भाषा के ही समान अवसर देता है।

1.1 भारतीय संविधान में शैक्षिक प्रावधान

शिक्षा में संविधान की भूमिका –

भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया कि आगामी दस वर्षो में शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जायेगा, लेकिन इस लक्ष्य की अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई। लेकिन शिक्षा की रूपरेखा विकसित नहीं हुई।

1949 में डॉ. राधाकृष्णन् आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने सर्वप्रथम ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की ओर जनता एवं सरकार का ध्यान आकर्षित पूर्ण कदम उठाए। 1964–66 डॉ. डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग कागठन हुआ इस आयोग ने शिक्षा के नवीन संगठन, विज्ञान, प्राद्योगिक, शिक्षा अवसरों की समानता, प्रतिभाशाली छात्रों की खोज पर विशेष बल दिया।

स्व.श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में 20 अप्रैल 1986 को नई शिक्षानीति अपनाई गई, और अगस्त 1986 में क्रियान्वित की गई।

इस नई शिक्षा नीति का अर्थ शिक्षा और ज्ञान को एक दूसरे से जोड़ना, शहर या गांव, जनतातीय क्षेत्र वन क्षेत्र हो इसमें समतावादी शिक्षानीति होनी चाहिए।

शिक्षा मानव के लिए आवश्यक है। शिक्षा मानव को यह दिखाकर मानवता सिखाने वाली सिढ़ी है। शिक्षा के बिना मनुष्य का स्वरूप नहीं होता है। शिक्षा ना मिले तो मनुष्य को अपना जीवन भार जैसा प्रतीत होता है। शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन द्वारा संस्कारों अथवा व्यवहारों का निर्माण करता है। प्राचीन काल में भारतीय मनीषीयों ने ''सा विद्या या विमुक्तरों'' कहकर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया था इसका महत्व इतना अधिक है, कि इसे मनुष्य का तीसरी ऑख कहा गया है। ''ज्ञान मनुष्य तृतीय नेत्रं'' इसी कारण प्रत्येक समाज ने अपना यह कर्तव्य समझा की शिक्षा का प्रबंध समाज के प्रत्येक बालक के लिये किया जाये।

महात्मा गांधी का कहना था कि, ''शिक्षा का उद्देश्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ सर्वोत्तम है। उसकी सर्वांगीण अभिव्यद्धि है।'' शिक्षा के अनेक स्तर है, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च। किनतु इन सभी स्तरों में प्राथमिक शिक्षा जीवन की आधारशीला है। प्राथमिक शिक्षा का जीवन में वहि महत्व है, जो दृढ़ एवं स्थायी भवन के निर्माण में उसकी आधारशीला का। अतः जब सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के समस्त अवसर प्राप्त होंगे तभी वह अपने गुणों तथा क्षमताओं को विकसित कर पायेंगे और इस प्रकार समाज को सम्पन्न बनायेंगे।

शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। वह व्यक्ति की नैसर्गिक व स्वाभाविक क्षमताओं को विकसित करते हुए समाज का अर्थपूर्ण सदस्य बनाती है। समाज के आर्थिक समृद्धि हेतु भौतिक व मानवीय संसाधनों को नियोजीव ढंग से प्रायोजीत कर सकने में महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का ही हुआ करता

हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपने देश के नागरीकों की शिक्षा पर बल देता हैं। किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक, संपन्नता तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कहा की शिक्षा प्रणाली में उन्नत होना आवश्यक हैं। क्यों कि शिक्षा देश के सर्वागीण विकास को देखने के लिए दर्पण हैं। शिक्षा का मुख्य उददेश्य बच्चे के व्यक्तित्व के साथ साथ देश का विकास भी हैं क्यो की वही देश के भावी निर्माता होगें।

व्यक्तित्व के विकास से मानव की अंनदृष्टि विकसित होनी है। और उनमें विभिन्न शक्तियों का संगठन होने लगता हैं।

ज्ञान से व्यक्ति के आत्मविश्वास को बल मिलता हैं। व्यक्ति का स्वयं के प्रति अनेक प्रत्ययों का स्पष्टीकरण हो जाता है। विश्वास और आत्मविश्वास विकसित होने से उनका व्यक्तित्व सार्थक और प्रभावशाली बनता हैं।

भारत के संविधान की भूमिका के उददेश से स्पष्ट हैं कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, शैक्षिक समानता के अवसर, आर्थिक समानता के आधार, राजनैतिक स्वतंत्रता के विचार, विश्वास, पूजा , मान्यताए, स्तर कि समानता और अवसरों की समानता उनमें भाई चारे की भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रगती करना हैं। इस उददेश को प्राप्त करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किये गये हैं।

विद्यालयी पाठ्यचार्या के शिक्षा के उददेश्य

शिक्षा के सामान्य उद्देश्य

1. भाषा की योग्यताएं, जैसे, बोलना, पढना, लिखना,और सोचना तथा मौखिक और दृश्य संप्रेषण– कौशल जो सामाजिक जीवन और दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों में प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक है।

2. गणतीय योग्यताएँ जो तार्किक बुद्धि का विकास करें और शिक्षार्थीयों के गणितीय क्रियाओं को दैनिक जीवन में लागू करने में सहायता करें।

3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जिसमे खोज या अनुसंधान-भावना, समस्या हल प्रश्न करने का साहस और वस्तुनिष्ठ जैसे गुण विद्यमान हो जो भ्रम, अंधविश्वास और भाग्यवाद को समझ करने की दिशा में प्रवृत्त करें।

4. भारत की सामाजिक संस्कृति के प्रति समझ पैदा करें, ऐसे गुणो और विशेषताओं का विकास करें जो स्व-शिक्षण, आत्म-निर्देशिन शिक्षण और आजीवन शिक्षण के साथ समाज की रचना कर सकें।

अध्ययन योजना

व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए विद्यालयी पाठ्यचर्या में मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा और कार्य शिक्षा को *समुचित महत्व देना होगा।*

1.2 शारीरिक विकलांग बालक

शारीरिक न्यूनता से ग्रसित बालक अथवा विकलांग बालक से तात्पर्य ऐसे बालकों से होना है जो सामान्य या साधारण बालकों से शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होने हैं। जिसके कारण वे सामान्य क्रियाओ में भाग नही ले सकते या सीमित रूप से भाग ले पाते है । जिसके कारण उनकी उपलब्धियाँ अधूरी रह जाती हैं और वे सामान्य बालकों से अपने आप को हीन समझते है।

"ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होना है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता हैं या उसे सीमित रखता हैं, ऐसे बालक को विकलांग बालक कह सकतें हैं।

शिक्षा प्राप्ती का अर्थ केवल प्रस्तकीय ज्ञान ही नही होता है, अपितु सर्वांगीण विकास को अवधारणा को पूण्र करने वाली शिक्षा ही शिक्षा हैं। शिक्षा का मुख्य उददेश्य बालक बालिकाओं में परिस्थिति के अनुसार अनुकूलता स्थापित करने की क्षमता का विकास करना हैं इसी उददेश्य को लेकर विकलांग बच्चो में स्वावलंवन एवं समानता का विकास करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय योजना लागू की गई है इस योजना से सम्पूर्ण प्रकार के विकलांग बालक–बालिकाओ को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा हैं।

विकलांग के प्रकार

1. शारीरिक अवयवों से अपाहिज
2- दृष्टिहीन/आंखो से विकलांग
3- बधीर
4- गुंगा /जो बोल नही सकता
5. मानसिक रूप से विकलांग

1.3 विकलांग छात्रों की शिक्षा

शिक्षा आयोग ने कहा हैं आमतौर शिक्षा विकलांग को काफी हद तक परिस्थितीयों पर विजय पाने योग्य और एक उपयोगी नागरिक बनाती है" विकलांगो की शिक्षा की समस्याएँ विभिन्न हैं। यह शिक्षा विकलांग की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। देश में इस समय विकलांगो हेतु 23 शिक्षण संस्थाएं है।

विकलांगो की शिक्षा व्यवस्थाः

1. प्रथम पंचवार्षिक योजना में नेत्रहीनों बहिरो तथा शारीरिक विकलांगो के लिए छात्रोवृत्तियों की व्यवस्था की गई थी।

2. भारत सरकार ने विकलांगो की सहायता हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता दी है। दुसरी योजना में यह सहायता 60 % तक दी गई। तीसरी योजना में यह सहायता 19% दी गई।

3. 1968 में मुंबई में एक कार्यालय विकलांगों को रोजगार दिलाने हेतु खोला गया ऐसे 8 कार्यालय दिल्ली, बंगलोर, अहमदाबाद चंढ़ीगढ़, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास एवं कानपूर में खोले गये। 3000 विकलांगो को रोजगार दिलाया गया है।

4. नेत्रहिनो के लिए प्रतिवर्षो 30 अध्यापक प्रशिक्षित किये जाते है । ऐसे प्रशिक्षणार्थी को 1963-64 में 4 फेलोशिप दी गयी थी। इंडियन हेण्डीकेप्ड बोर्ड के क्षेत्रीय विभागों में इन्हें प्रशिक्षित केन्द्रो में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना था।

कोठारी कमीशन और विकलांग

कोठारी कमीशन ने एक स्थान पर कहा है।''एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि वह सामान्य बच्चों की आवश्यकताओ की पूर्ती के लिए बनाये गये सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में संगठन के लिए उसे तैयार करें। इसलिए शिक्षा प्रणाली का एक अंग हों। अन्तर केवल बच्चे को पढाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञानप्राप्ती के अपनाए गये साधनो में होगा।

1971 में विकलांगो की स्थिति इस प्रकार थी।

बर्ग	बच्चों की अनुमानिक संख्या	संस्थायें
अन्धें	4,00,000	115
बधिर	3,00,000	70
अंगविकृति	4,00,000	25
मन्दबुद्धि	14,00,000	29
	25,00,000	**239**

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1983-85) ने कहा हैं ''नेत्रहीन तथा बधीर छात्रों का अधिक से अधिक 5 प्रतिशत तथा मानसिक रूप से अविकसित का 0.50% ही अनुमानतः लगभग 800-1000 विशेष स्कूलों में है। इनमें से अधिकतम स्कूल महानगरों तथा अन्य शहरों के केन्द्रों में स्थित है ग्रामीण क्षेत्रों में जहा इन छात्रों का लगभग 80% है, शैक्षिक सुविधाए न के बराबर है।'' इसी ग्रामीण इलाके के विकलांग छात्रों के विकास के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिपेक्ष्य में विशेष समूह को सन्तुष्ट करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रस्तावित रूपरेखा को क्रियान्वित करने की योजना बनाई गयी। इस योजना के अन्तर्गत विकलांगो की शिक्षा पर ध्यान दिया गया और विकलांग छात्रों के लिये छात्रावास वाले (आवासीय) स्कूलो की स्थापना कि गयी। विकलांग के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

शिक्षा नीति में कहा गया है कि ''विकलांग बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे पूरे समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सके। उनकी उन्नती भी आम आदमी की तरह हो।'' इस लक्ष्य की प्राप्ती के लिए 2001 तक 6-14 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षा के सर्व

सुलभीकरण की योजना का निर्माण किया गया। इस संदर्भ में संकेत दिया गया कि, ''इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय इसमे शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 5% से अधिक नहीं है। और शैक्षिक सुविधाए प्रदान करने के लिए काफी संसाधनों की जरूरत होगी।

1.4 विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

के अनतर्गत भारत सरकार ने सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इनके लिए शत प्रतिशत अनुदानित केन्द्र प्रवर्तित विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना एवं उन्हें स्कूल प्रणाली में बनाये रखने हेतु व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा योजना के सफल संचालन हेतु इस विधा में प्रशिक्षित शिक्षकों का उपलब्ध होना अनिवार्य है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक प्रशिक्षणों हेतु विशेष शिक्षा– सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्री के द्वारा लिया गया –

''विकलांगता नहीं, अपिल विकलांगता के प्रति समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण सर्वाधिक हानिकारक है।'' विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.सी.ई.आर.टी.) (एस.सी.ई.आर.टी.) तथा जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान मिलकर शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा सामग्री हेतु प्रयत्नशील है।

विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधान

1. आवासिय स्कुलों के विकलांग छात्रों के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था।
2. राज्य शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद जैसी संस्थाओं को विशेष संसाधन एवं सुविधाएँ प्रदान करना।
3. विकलांग बालाको के अनुरूप पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
4. जिला स्तरीय मनोवैज्ञानिक सेवाए प्रदान करना।
5. श्रम मंत्रालय की सहायता से विकलांग बच्चों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
6. विकलांग बालकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन रखे

(अ) पचास प्रतिशत की परिवहन भत्ते में छूट

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग छात्रों के समूह के अनुसार एक स्कूल शिक्षा की व्यवस्था।

(स) ग्रामीण स्कूलों के भवनों को विकलांग छात्रों के अनुरूप तैयार करना।

(द) निःशुल्क पाठ्य- पुस्तके, युनिफार्म आदि प्रदान करना।

(ड) शिशु केन्द्रों में इन बालको को आगामी शिक्षा हेतु तैयार करना।

विकलांगों बच्चों की शिक्षा के उपाय-

1. विकलांगता अगर हाथ- पैर की या मामूली हो तो ऐसे छात्रों की पढ़ाई सामान्य छात्रों के साथ हो।

2. गंभीर रूप से विकलांग छात्रों के लिए छात्रावास वाले विशेष (Special School) की व्यवस्था होगीं। इस तरह के स्कूल जिला मुख्यालयों में बनायें जायेगे।

3. विकलांगो के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

4. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नया रूप दिया जायेगा।

5. विकलांगो की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों की हर संम्भव तरीके से प्रोस्साहित किया जायेगा।

शारीरिक विकलांगो का कल्याण एवं पुनर्वास

शारीरिक विकलांगो को कल्याण एवं पुनर्वास हेतु भारतीय संविधान में वर्णन किया गया हैं। विकलांगो के रोजगार हेतु भारता सरकार ने 22 शहरी तथा 41 ग्रामीण रोजगार कार्यालय खोले । भारत सरकार ने दो विकलांग व्यवसायिक पूनर्वास केन्द्र की स्थापना 1968 में कि थी जो अब 17 हो गये है। इसके अतिरिक्त कुछ समाजसेवी संस्थाए जैसे :- लायन्स, रोटरी , जैसीज क्लब तथा भारत विकास परिषद ने भी इस क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाये हैं। इसके अतिरिक्त राष्टीयकृत बैको का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है।

1.5 विकलांगो की शिक्षा में आनेवाली बाधाएँ

1. **अर्थाभाव** : सरकार के बजट में कमी के कारण अन्य स्त्रोतो में कभी के कारण विकलांगो की शिक्षा की व्यवस्था नही है।

2. **संस्थाओं को कमी** : विकलांग सेवा संस्थाओ में कभी आने के कारण विकलांग को शिक्षा नही मिल पाती है।

3. **अध्यापको का अभाव** : विकलांग बच्चों को पढाने वाले अध्यापकों का अभाव है प्रशिक्षित अध्यापक की कमी है।

1.6 शिक्षा, बुद्धि तथा सृजनात्मकमा का संबंध

शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन द्वारा संस्कारो एवं व्यवहारों का निर्माण करना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने वातावरण में समायोजन करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य में अनेक मूल प्रवृत्तीयाँ होती है, जिनके परिमार्जन से उनकी अभिव्यक्ति में संशोधन हो जाता है। वह समाज का उपयोगी अंग बन जाता है और अपने व्यक्ति तथा समाज का कल्याण करने योग्य बन जाता है। इसलिये शिक्षा का कार्य व्यवहार का परिमार्जन करना होता है। जहाँ शिक्षा योग्यताओं का विकास करके व्यवहार को परिमार्जित करती है, वही मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहारों का अध्ययन करना है। यह तथ्य अपने आपमें पूर्ण सत्य है कि व्यक्ति की योग्यताओं का विकास तब तक नहीं किया जाता, जब तक कि उनके व्यवहारों का ज्ञान पूर्ण रूप से वृद्धि हो पाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान में शिक्षा का कार्य मानव व्यवहार को संशोधित तथा परिमार्जिन करना तथा मनोवज्ञिान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यक्ति के विकास, अधिगम रूचियों, अभिवृत्तियों, बुद्धि, सृजनात्मकता, वैयक्तिक भिन्नता आदि का मापण व मूल्यांकन किया जाना है। जिसमें शैक्षिक बुद्धि एवं सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों कारक व्यक्ति के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते है। अतः बुद्धि एवं सृजनात्मकता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

1.7 बुद्धि

पशुओं की तुलना में मनुष्य को कई ज्ञानात्मक योग्यताओं से सम्पन्न माना जाता है। जो उसे विवेकशील प्राणी बनाती है। वह कार्य कर सकता है, भेद कर सकता है, समझ सकता है, और नई स्थिति का सामना भी कर सकता है। निश्चित रूप सेवह पशुओं से श्रेष्ठ है। परन्तु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते व्यापक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नतायें पायी जाती है। वे कौन से

कारक है। जिनसे एक व्यक्ति दुसरे कि अपेक्षा किसी विशिष्ट स्थिति के प्रति अधिक प्रभावशील अनुक्रिया करता है। इसमें कोई संदेह नहीं की रूची, अभिवृत्ति, प्राप्त ज्ञान, कौशल्य का सफलता प्राप्ति में महत्वपूर्ण स्थान होता है। परन्तु फिर भी कोई ऐसी चीज अवश्य है जो इन विविध विभिन्नताओं का कारण है। मनोविज्ञान में इसे बुद्धि कहा जाता है।

प्राय उस व्यक्ति को बृद्धिमान कहा जाता है, जो जीवन की सामान्य स्थितियों का सामना करने में सफल हो, बुद्धि में ऐसी कौन सी चीज है? मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। इसके परिणाम स्वरूप बुद्धि की परिभाषाए व्यक्त की गई है, जो निम्न है।

स्टर्न के अनुसार–

"बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य क्षमता है, जिसके द्वारा वह सचेत होकर नवीन आवश्यकताओं के अनुसार अपने आपको ढ़ालने की एक सामान्य मानसिक योग्यता है।"

टरमैन के अनुसार–

"व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करने के योग्य होता है, उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है।"

बैगनन के अनुसार –

"अपेक्षाकृत नई एवं परिवर्तित स्थितियों को समझने तथा उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है।"

"बुद्धि वह तत्व है, जो सब मानसिक योग्यताओं में समान रूप से सम्मिलित रहता है।"

बुद्धि के विषय में एक नया मत विकसित हो रहा है कि बुद्धि नामक कोई भी तथ्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता होती है। किसी कार्य

को करने की क्षमता की भिन्नता ही विभेद करती है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी क्षमता का योग्यता का लाभ उठाता है। दुसरा व्यक्ति दुसरे क्षेत्र में। "स्टेडर्ड" ने इसलिए बुद्धि के अस्तित्व स्वीकारते हुए कहा है, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मूल्य, मौलिकता की आवश्यकता की विशेषताएँ हो तथा भावनात्मक व्यक्तित्व के प्रति सहनशील हो।

बुद्धि की विशेषताएँ –

1. बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है।
2. बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है।
3. बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातें सीखने में सहायता देती है।
4. बुद्धि व्यक्ति को अपने मत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है।
5. बुद्धि व्यक्ति की कठीन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है।
6. बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है।
7. बुद्धि व्यक्ति को भले, करे, सत्य और असत्य नैतिक और अनैतिक कार्यो में अंतर करने की योग्यता देती है।

बुद्धि की योग्यताएँ

1. आंकित योग्यता
2. तार्किक योग्यता
3. शाब्दिक योग्यता

1.8 सृजनात्मकता –

आज प्रत्येक राष्ट्र विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में विकास की दौड़ में शामिल हो रहा है और यह भी सत्य है कि देश के विकास में शिक्षा प्रारम्भ से ही एक सशक्त माध्यम रही है। बहुत समय एक हमारे देश में शिक्षा में सृजनात्मकता पर ध्यान नहीं दिया गया। किन्तु कोठारी आयोग ने वैज्ञानिक वृत्ति सुजनशीलता तथा मूल्यों के संदर्भ में अपेक्षायें व्यक्त की है। जो निम्न है।

विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ से ही आधारभूत नियमों और वैज्ञानिक आमूर्तिकरण की प्रक्रिया को भली भांति समझने और सृजनात्मक विचार करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इस प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा छात्रों में शोध और सृजन करने की भावना और इस बात की चेतना उत्पन्न करना चाहिए कि विज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा बौद्धिक उपक्रम है। विज्ञान का अध्यापक प्रत्येक स्तर पर सृजनशील होना चाहिए (शिक्षा आयोग)।

एक ऐसे युग में जिसमें खोजों और अनुसंधानों को महत्व दिया जाता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति की शिक्षा का मूल्य और भी बढ़ जाता है। शिक्षा में कलाओं की अपेक्षा से शैक्षिक प्रक्रिया दुर्बल हो जाती है। हम सिफारिश करते है कि कला शिक्षा की वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण के लिए और उनके विस्तार तथा व्यवस्थित एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करें। इस संबंध में देश के सभी भागों मे बाल भवनों की स्थापना व स्थानिय लोगों से सहायता प्राप्ति की सिफारिश करते है। (शिक्षा आयोग)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज के भाग आठ के अन्तर्गत मूल्यों की शिक्षा तथा सृजनात्मकता के विकास पर बल दिया गया है।

इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की जा रहीहै कि जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों का हास हो रहा है और मूल्यों पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। शिक्षा क्रम मे ऐसे परिवर्तन में शिक्षा एक सशक्त साधन बनें।

विज्ञान शिक्षा को सदृढ़ किया जायेगा ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुगतता प्रश्न करने का साहस व सौदर्य बोध जैसी योग्यतायें एवं मूल्य विकसित हो सके।

सृजनात्मकता मानव के चिंतन की श्रेष्ठ उपलब्धि है। सृजनात्मकता के दो पहलू है, सृजन प्रक्रिया तथा सृजन उपलब्धि इन दो पहलुओं को ध्यान में रखकर सृजनात्कता को परिभाषित किया गया है।

स्टाइन 1960 – "कोई प्रक्रिया तब सृजनात्मक कहलोयगी, जब उससे कोई परिनीति हो, जिसे किसी निश्चित समय पर कोई जन समूह धारणीय संतोषप्रद स्वीकार करें।"

हॉरेन्स – "सृजनात्मकता समस्याओं कठिनाइयों ज्ञान के बीच अंतरालों, अप्राप्त तत्वों आदि के प्रति संवेदनशील होने, कठिनाईयों को पहचानने, समाधानों को ढुंढने, कमियों के प्रति परिकल्पना को निर्मित करने, इन परिकल्पनाओं का परीक्षण और पुनःपरीक्षण करने और इसमें संशोधन करके परीक्षण करने और अंत में परिणाम सूचित करने की प्रक्रिया है।"

"सृजनात्मकता वह योग्यता है, जो व्यक्ति की किसी संमस्या को विद्धवत्तापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने व विचार करने में समर्थ बनाती है।"

सृजनात्मकता की विशेषताएँ –

1. सृजनात्मकता एक प्रक्रिया या विशेषता है।
2. सृजनात्मकता की प्रक्रिया एक लक्ष्य निर्देशित होती है।

3. सृजनात्मकता अपसारी चिन्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।

सृजनात्मकता के आयाम – सृजनात्मकता के चार आयाम है

1. **प्रवाह** :– आशय विचारों या उत्तरों की संख्या से संबंधित।
2. **मौलिकता** :– यह सृजनात्मकता की सबसे उची अवस्था है। जहां व्यक्ति बिलकूल एक नवीन दृष्टिकोण विकसित करता है।
3. **विविधता** :– विचारों या उत्तरों की विभिन्नता।
4. **विस्तरण** :– किसी मौलिक विचार का उपयोग करने के लिये यह आवश्यक होता है कि उस विचार के आगे पीछे हर पहलू पर देखें। यह योग्यता विस्तरण कहलाती है।

टॉरेन्स (1992) तथा गिलफोर्ड (1967) के अनुसार सृजनात्मकता में कई कारक सम्मिलित होते है। जो अपसारी चिंतन की श्रेणी में आते है।

1.9 शैक्षिक उपलब्धि

वर्तमान समय में व्यक्ति के ज्ञानात्मक विकास के मापण का एक आधार उस व्यक्ति की शैक्षिक उपलब्धि है, जो उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में या मौखिक रूप में अभिव्यक्त की जाती है शैक्षिक उपलब्धि पर व्यक्ति के रहन सहन के स्तर या उसके विकास की अनुकूलतम स्थिति और सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। चूँकि बुद्धि और सृजनात्मकता शैक्षिक उपलब्धि के दो प्रमुख कारक है, अतः इन पर सामाजिक, आर्थिक स्थिति अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है।

विकलांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि उनके सामाजिक या आर्थिक स्थिति और शालेय वातावरण उनके आवासीय परिसर तथा अध्यापक से जुड़ी

होती है। इसके साथ साथ विकलांग बालकों में भी सृजनात्मकता और बुद्धि का प्रभाव उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है।

1.10. समस्या कथन –

आवासीय विद्यालय के विकलांग छात्र एवं छात्राओं की बौद्धिक क्षमता तथा सृजनात्मकता का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

1.11 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व –

आज के युग में हर बालक किसी भी क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। फिर विकलांग बालक सामान्य से पीछे क्यो रहे? बच्चे विकलांग जरूर है। लेकिन बौद्धिक दृष्ट्या विकलांग नहीं होते। उनके विचार उनकी कला कौशल को प्रभावित करना चाहिए और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए की वो बच्चे किसी भी दृष्टिकोण से विकलांग नहीं है। इसलिए शिक्षकों को बच्चों की बौद्धिक क्षमता और सृजनात्कता पर ध्यान देना जरूरी हो गया है।

लेकिन स्कूल में ऐसा होता नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रम पढ़ाने में ही अपना समय बिताते है, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को भी प्रदानता देनी चाहिए। सभी बच्चों की बौद्धिक क्षमता समान नहीं होती, और उनमें सृजनात्मकता स्तर भी अलग–अलग होता है।

इस तथ्य को पुष्टी (सत्य रूप) देने के लिए एक विधिवत् अध्ययन की आवश्यकता को देखकर और बुद्धिमत्ता ओर सृजनात्मकता का उनके शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध जानने के लिए यह अध्ययंन विषय महत्वपूर्ण है।

1.12 अध्ययन के उद्देश्य –

प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की बौद्धिक क्षमता का उनके शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध का अध्ययन करना।
2. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की सृजनात्मकता का उनके शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध का अध्ययन करना।
3. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की बौद्धिक क्षमता तथा सृजनात्मकता के सम्बन्ध का अध्ययन करना।
4. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का तुल्नात्मक अध्ययन करना।
5. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की बौद्धिक क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.13 अध्ययन की परिकल्पनाएँ –

प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित है।

1. आवासीय विद्यालय के विकलांग छात्र एवं छात्राओं की बौद्धिक क्षमता का उनके शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
2. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की सृजनात्मकता का उनके शैक्षिक उपलब्धि से सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
3. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की बौद्धिक क्षमता का सृजनात्मकता से सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

4. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर नहीं है।"

5. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की बौद्धिक क्षमता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

6. विकलांग छात्र एवं छात्राओं की सृजनात्मकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.14. समस्या का सीमांकन –

प्रस्तुत शोध अध्यन में शोधकर्ती ने आवासीय स्कूलों के विकलांग छात्र तथा छात्राओं का चयन किया। कुल आवासीय स्कूलों में से केवल तीन आवासीय स्कूलों के विकलांग छात्र न्यादर्श के रूप में चयनित किये गये। तीन आवासीय स्कूल के कुल छात्रों में से केवल 60 छात्रों को चयनित किया गया।

1.15 क्षेत्रीय परिसीमन –

प्रस्तुत अध्ययन में एक ही जिले के केवल तीन स्कूलों को अध्ययन हेतु चयनित किया गया।